

an>

Title: Introduction of the Handloom Weavers (Protection and Welfare) Bill, 2016.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे निराश हथकरघा बुनकरों, जो ऋण से ग्रस्त हैं, शोषित हैं और कल्याण सुविधाओं के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे जीवन बीमा कवर, ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी और उपभोग ऋण, बच्चों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख और शिक्षण सुविधाएं, किफायती कच्चे माल की उपलब्धता, कर्घों का आधुनिकीकरण, आवास और सरकार द्वारा हथकरघा की अनिवार्य खरीद, को संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of distressed handloom weavers who are debt ridden, exploited and are committing suicide for welfare measures like life insurance coverage, interest free working capital and consumption loan, healthcare, educational facilities to the children, availability of affordable raw material, modernisation of looms, housing and compulsory purchase of handloom cloth by Government."

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।